मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
04/13/17	07/01/21	4 वर्ष, 2 माह, 18 दिन

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या 157/2017
1. जमुना दास पुत्र स्व. श्री खूबचन्द्र उम्र 55 वर्ष
2. श्रीमती रामकली पत्नी श्री जमुना दास उम्र 53 वर्ष
3. कु. रचना पुत्री जमुना दास उम्र 20 वर्ष
समस्त निवासीगण 548/8 कालीमाई तालपुरा, जिला झाँसी

----याचीगण

प्रति

1. राजीव अरोरा पुत्र श्री अमरदास अरोरा निवासी 75 पुष्प प्रफुल्ल नगर चमरोली, आगरा
.....मालिक ट्रक सं. यू.पी.83 एटी4007
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अतर सिंह निवासी मनिया थाना मनिया जिला घौलपुर, राजस्थान
.....चालक ट्रक सं. यू.पी.83 एटी4007
3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. आगरा जरिये मण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि. नन्दनपुरा चौराहा, झाँसी
.....बीमाकर्ता ट्रक सं. यू.पी.83 एटी4007

---- विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री अवधेश कुमार समेले
विपक्षीगण सं.1 व 2 के अधिवक्ता- श्री राजीव शर्मा
विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता- श्री अरुण श्रीवास्तव

अधिनिर्णय

1. प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत याचीगण के पुत्र व भाई राकेश कुमार की मृत्यु के कारण ₹47,50,000 क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक 30/31.10.2016 की रात्रि राकेश कुमार अपने मित्र मोनू के साथ बस स्टेण्ड से कचेहरी की ओर अपनी साईड में पैदल-पैदल आ रहा था। जैसे ही समय करीब 12.30 बजे रात्रि विशाल मेगामार्ट के सामने बस स्टेण्ड के पास पहुँचा उसी समय पीछे से आ रहे ट्रक सं. यू.पी.83 एटी4007 के चालक ने तेजी व लापरवाही से उक्त ट्रक चलाकर राकेश कुमार व मोनू को जोरदार टक्कर मार दी। उक्त टक्कर से मोनू दूर फिक गया व राकेश कुमार के ऊपर से ट्रक गुजर गया जिससे राकेश कुमार का शरीर क्षत-विक्षित हो गया। राकेश कुमार व मोनू को तत्काल मेडिकल कॉलेज, झाँसी ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने राकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट दिनाँक 31.10.2016 को ही भगवानदास ने थाना सदर बाजार, झाँसी में दर्ज करा दी थी। मृतक 25 वर्ष का नव-युवक था और वृन्दावन फूड प्रोडकट प्रा. लि. में कार्यरत था और उक्त कम्पनी की शाखा भोपाल में रेलवे स्टेशन पर कार्यरत था। जिसके अन्तर्गत राजधानी एक्सप्रेस व शताब्दी एक्सप्रेस में पेय एवं खाद्य पदार्थों को बेचने का (बेण्डर) का कार्य करता था जिससे मृतक को ₹400 प्रतिदिन के हिसाब से ₹12,000 प्रतिमाह मिलता था एवं रहना व खाना नियोजक की ओर से फ्री था। अपनी उक्त आय से मृतक अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उक्त दुर्घटना में मृतक की मृत्यु हो जाने से याचीगण का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

3. विपक्षी सं.1 राजीव अरोरा व विपक्षी सं.2 राजेन्द्र सिंह क्रमशः प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी.83 एटी4007 के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से 22 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार किया गया है तथा मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि दुर्घटना के दिनाँक को विपक्षी सं.2 के पास वैध एवं प्रभावी चालक लाइसेन्स था तथा विपक्षी सं. 1 का ट्रक सं. यू.पी.83 एटी4007 विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के यहाँ से दिनाँक 29.10.2016 से 28.10.2017 तक वैध एवं प्रभावी था। यदि कोई क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी विपक्षी बीमा कम्पनी की होगी।

4. विपक्षी सं.3 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 19 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित दुघर्टना के समय पर प्रश्नगत ट्रक सं. यू.पी.83 एटी4007 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बिना वैध व प्रभावी परमिट व फिटनेस के बीमा पॉलिसी की शर्तों के

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.01 20:16:12 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था तो ऐसी स्थिति में विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 23.02.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

(1) Whether in the midnight on 30/31.10.2016 at 12:30 AM in front of Vishal Mega Mart near bus stand, within the circle of P.S Sadar Bazar, district Jhansi, the driver of Truck No. UP83AT4007 by driving his vehicle rashly and negligently hit Rakesh Kumar, going on foot causing grievous injuries on his body resulting into his death?

(2) Whether the driver of Truck No, UP83AT4007, O.P. No.2, was holding a valid and effective driving license on the date and time of alleged accident?

(3) Whether the Truck No. UP83AT4007 was duly insured with O.P. No.3, United India Insurance Company Ltd. on the date and time of alleged accident?

(4) Whether the petitioners are entitled to get any amount of compensation? If yes, how much and from which of the opposite parties?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से

अभिलेखीय साक्ष्य

1. फेहरिस्त 7 सी1 से 8 सी1/1 लगायत 10 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

2. फेहरिस्त 29 सी1 से 24 सी1 लगायत 37 सी1/8 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें मृतक की 2 किता असल वेण्डर आई.डी., असल चिकित्सा प्रमाणपत्र रेलवे, मृतक की आय सत्यापन का असल प्रपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य-

पी.डब्लू.1 जमुना दास मृतक का पिता याची सं.1, पी.डब्लू.2 मोनू वर्मा चुटैल एवं मौके का साक्षी, पी. डब्लू.3 राम लखन सिंह प्रबन्धक, वृन्दावन प्रोडक्ट प्रा. लि. शाखा भोपाल मृतक की आय सत्यापन का साक्षी

विपक्षीगण की ओर से -

विपक्षीगण की ओर से फेहरिस्त 23 सी1 से 24 सी1 लगायत 28 सी1 प्रपत्र जिनमें पंजीयन प्रमाण-पत्र, बीमा पॉलिसी, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र व ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य-

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

वाद बिन्दु सं.1 को साबित करने के लिये याचीगण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ 34 सी1/1 लगायत 37 सी1/8 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.1 जमुना दास मृतक का पिता याची सं.1, पी.डब्लू.2 मोनू वर्मा चुटैल एवं मौके का साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। पी.डब्लू.1 यद्यपि मौके का साक्षी नहीं है किन्तु इसने अपनी अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका के कथनों के समर्थन में साक्ष्य दी है तथा प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी है। **पी.डब्लू.2** मोनू वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि राकेश का एक्सीडेन्ट दिनाँक 30/31.10. 2016 की मध्य रात्रि में समय 1 २:30 बजे हुआ था। वह राकेश के साथ मण्डी की ओर से कचेहरी की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह लोग विशाल मेगा मार्ट माल के सामने पहुँचे इसी समय उसके पीछे से आ रहे ट्रक सं. यूपी83 एटी 4007 के चालक ने तेजी व लापरवाही से उसमें व राकेश में पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से

वह दूर फिक गया था और राकेश ट्रक के नीचे आ गया था और बुरी तरह कुचल गया था। राकेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद वह बेहोश नहीं हुआ था। उसने ट्रक का नम्बर देख लिया था। पुलिस मौके पर आ गई थी। ट्रक को कब्जे में लिया था और राकेश को ट्रक के नीचे से निकाला था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा हुई है, साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि साक्षी की साक्ष्य पर संदेह किया जा सके।

9. 34 सी1/2 लगायत 34 सी1/4 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई भगवानदास द्वारा दिनाँक 30/31.10.2016 को समय 1२:30 बजे की दुर्घटना की रिपोर्ट दिनाँक 31.10.2016 को 1०:20 बजे ट्रक सं. यूपी83 एटी4007 के चालक अज्ञात के विरूद्ध अंकित कराई गई है। 35 सी1/2 आरोप पत्र की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने राजेन्द्र सिंह (विपक्षी सं.2) प्रश्नगत ट्रक सं. यूपी83 एटी 4007 के चालक के विरूद्ध ही संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया है। 36 सी1/2 नक्शा नजरी भी विवेचक द्वारा उक्त दुर्घटना स्थल के संबंध में बनाया गया है जो निम्न है:-

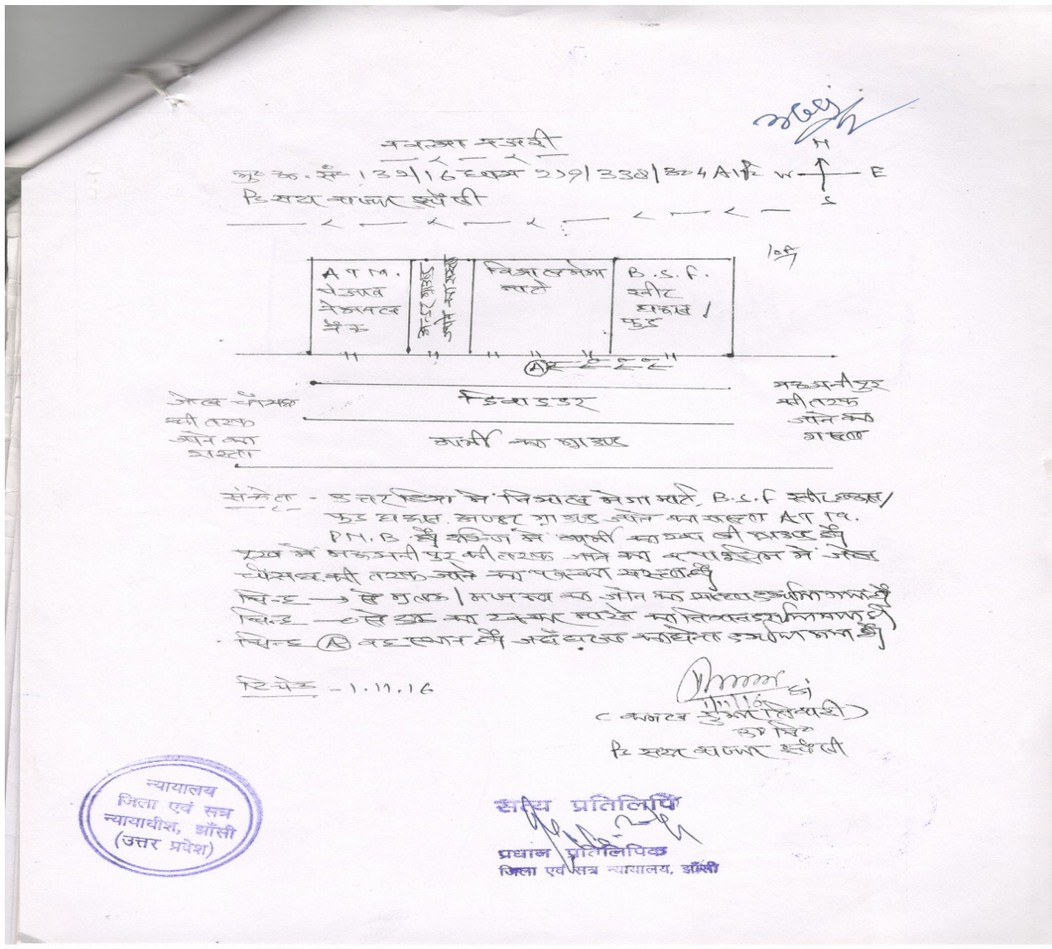

उक्त नक्शा नजरी में विवेचक ने **A** स्थान को दुर्घटना स्थल चिहिन्त किया है, जिसमें वर्णित तथ्यों से भी याचिका में वर्णित दुर्घटना होने के कथनों व साक्ष्य की पुष्टि होती है। 37 सी1/2 लगायत 37 सी1/8 पोस्ट मॉर्टमरिपोर्ट की सत्यप्रतिलि के अवलोकन से विदित होता है कि दिनाँक 31.10.2016 को राकेश का पोस्ट मॉर्टम चिकित्सक द्वारा पोस्ट मॉर्टम हाउस, झाँसी में किया गया, जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण हेमरेज व शॉक के कारण वर्णित एन्टीमॉर्टम चोटें आने के कारण होना अंकित है तथा Manner of causation of injuries में Accident का उल्लेख है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मृतक राकेश कुमार सड़क पर गलत दिशा में चल रहा था इसलिए इस दुर्घटना में उसी की गलती है। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि दुर्घटना मध्यरात्रि के बाद हुई है और मध्य रात्रि के बात सड़क पर इतना ट्रैफिक नहीं रह जाता कि यह माना जा सके कि ट्रक चालक पैदल चलने वालों को देख नहीं पाया। यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतक को सीधे हाथ की सड़क पर पैदल भी नहीं चलना चाहिए तो भी ट्रक को पीछे से टक्कर मारने का न तो कोई अधिकार मिल जाता न ही ट्रक को लापरवाही से चलाने का लाइसेंस। सड़क पर ट्रक के सामने

अचानक कोई प्रकट हो जाता तब तो एक बार माना जा सकता था कि ट्रक चालक की लापरवाही नहीं रही होगी लेकिन पैदल चल रहे यात्री को पीछे से टक्कर लगना ट्रक चालक की लापरवाही का स्वयं द्योतक है। अतः विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी के कथनों व तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ, कि दिनाँक 30/31.10.2016 को 12.30 बजे रात विशाल मेगा मार्ट, बस स्टेण्ड के पास अन्तर्गत थाना सदर बाजार जिला झाँसी में ट्रक सं. यूपी83 एटी4007 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पैदल जा रहे राकेश कुमार को टक्कर मारकर गम्भीर चोटें पहुँचायी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वाद बिन्दु सं.1 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं.28 सी1 के चालक राजेन्द्र सिंह विपक्षी सं.2 के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रति दाखिल की है। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त उक्त ट्रक के चालक के रूप में राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। 28 सी1 के अनुसार चालक राजेन्द्र सिंह के पास दिनाँक 19.03.2001 से 17.06.2019 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस है। उक्त ड्राईविंग लाइसेंस का खंण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक 30/31.10.2016 को रात्रि 1 २:30 बजे की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रक सं. यूपी83 एटी4007 के चालक के पास दुर्घटना के दिनाँक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। वाद सं.2 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचीगण की ओर से प्रपत्र सं.10 सी1 व विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से 25 सी1 ट्रक सं. यूपी83 एटी4007 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी है, जिनके अनुसार उक्त ट्रक का बीमा दिनाँक 29.10.2016 से 28.10. 2017 तक वैध एवं प्रभावी है। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण सं.1 व 2 द्वारा प्रश्नगत ट्रक के पंजीयन प्रमाणपत्र, स्वस्थता प्रमाणपत्र की छाया प्रतियाँ क्रमशः 24 सी1 एवं 27 सी1 भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी, पंजीयन प्रमाणपत्र व स्वस्थता प्रमाणपत्र का खंडन विपक्षी सं.3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक 30/31.10. 2016 को रात्रि 1 २:30 बजे की है की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रक सं. यूपी83 एटी4007 दुर्घटना के दिनाँक व समय पर विपक्षी सं.3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. से विधिवत रूप से बीमित था। वाद बिन्दु सं. 3 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित हैं। वाद बिन्दु सं.1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 30/31.10.2016 को 12.30 बजे रात विशाल मेगा मार्ट, बस स्टेण्ड के पास अन्तर्गत थाना सदर बाजार जिला झाँसी में ट्रक सं. यूपी83 एटी4007 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पैदल जा रहे राकेश कुमार को टक्कर मारकर गम्भीर चोटें पहुँचायी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूँकि वाद बिन्दु सं.2 व 3 में यह निर्णीत किया गया है कि प्रश्नगत ट्रक सं. यूपी83 एटी4007 के चालक के पास दुर्घटना के दिनाँक व समय पर वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था तथा उक्त ट्रक दुर्घटना के दिनाँक व समय पर विपक्षी सं.3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. से विधिवत रूप से बीमित था। अतः क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं.3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लि. का है।

14. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

याचीगण की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है कि मृतक 25 वर्ष का नव-युवक था और वह वृन्दावन फूड प्रोडकट प्रा.लि. शाखा भोपाल में रेलवे स्टेशन पर कार्यरत था। जिसके अन्तर्गत वह राजधानी एक्सप्रेस व शताब्दी एक्सप्रेस में पेय एवं खाद्य पदार्थों को बेचने का (बेण्डर) का कार्य करता था जिससे मृतक को ₹400 प्रतिदिन के हिसाब से ₹12,000 प्रतिमाह मिलता था एवं रहना व खाना नियोजक की ओर से फ्री था। इस संबंध में याचीगण की ओर से पत्रावली पर याचीगण की ओर से समर्थन में मृतक के असल वेण्डर आई.डी. प्रपत्र सं. 30 सी1 व 31 दाखिल किये गये है व 33 सी1 मृतक की आय के संबंध में सत्यापन प्रमाणपत्र प्रबन्धक, वृन्दावन फूड प्रोडक्ट प्राईवेट लि., दाखिल किया गया है तथा इसे साबित करने के लिये याचीगण की ओर से जारीकर्ता पी.डब्लू.3 श्री राम लखन सिंह, प्रबन्धक वृन्दावन प्रोडक्ट प्रा. लि. शाखा

भोपाल को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि राकेश कुमार मृत्यु से पहले लगभग 2 साल पहले से उसकी उक्त कम्पनी में वेण्डर का काम कर रहे थे जिससे उन्हें ₹400 प्रतिदिन वेतन मिलता था, इस हिसाब से ₹12000 प्रतिमाह मिलता था। किन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह वृन्दावन फूड प्रोडक्ट में नौकरी करता है, पार्टनर नहीं है। उसे हेड ऑफिस से आज की साक्ष्य हेतु कोई एथ्योरिटी लेटर नहीं मिला है, वह अपने आप आया है लेकिन पूंछ कर आया है। यह सही है कि उसके नीचे जो लोग काम करते हैं उनका हाजिरी रजिस्टर, वेतन रजिस्टर सब बनते हैं। वह आज न तो हाजिरी रजिस्टर लाया न वेतन रजिस्टर लाया। यह बात सही है कि उसके भोपाल कार्यालय में उस समय का वेतन रजिस्टर व हाजिरी रजिस्टर नहीं है। यह बात सही है कि 33 सी1 उसके द्वारा जारी किया गया है क्योंकि मृतक उसके अन्डर में काम कर रहा था। उसने हेड ऑफिस से पूंछा था तो उसे लिखित तौर पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। पूंछने के आधार पर ही कागज सं. 33 सी1 जारी किया था। इस प्रकार पी.डब्लू.3 की साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि जिस समय दुर्घटना हुई है उस समय का वेतन रजिस्टर व हाजिरी रजिस्टर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जबकि साक्षी को अपने द्वारा जारी किये गये 33 सी1 के समर्थन में वेतन रजिस्टर व हाजिरी रजिस्टर या ऐसा कोई प्रमाण जो कम्पनी के कार्यालय के काम काज के रुटीन मे रखे जाते हों दाखिल कर उसका सत्यापन कराना चाहिए था। मृतक के बैंक डिटेल से भी 33 सी1 का समर्थन कराया जा सकता था। शाखा प्रबंधक के स्वयं द्वारा जारी वेतन रजिस्टर से असमर्थित प्रमाण पत्र व बयान से इससे 33 सी1 का यह तथ्य कि सभी वेंडरों को ₹400 दिया जाता है साबित नही होता। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्थाLaxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03. 2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018– ALLHC): MANU/UP/ 2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹180 निर्धारित की जाती है।

15. याचीगण ने याचिका में मृतक राकेश कुमार की उम्र 25 वर्ष अंकित की है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची सं.1 ने मृतक की उम्र दुर्घटना के समय 25 वर्ष होना बताई है। मृतक के वर्ष 2017 के वेंडिंग आई.डी. कार्ड पर 25 वर्ष आयु अंकित है किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र लगभग 28 वर्ष अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयु का निश्चयक सबूत नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 28 वर्ष की आयु प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज आयु के आधार पर अंकित कर दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई है। मृतक के माता-पिता से बेहतर आयु के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। मृतक के पिता ने मृतक की आयु 25 वर्ष बताइ है जिसका समर्थन मृतक के वेंडर आई कार्ड से होता है और जिसका खंडन बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया जा सका है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं की मृतक की आयु दुर्घटना के समय 25 वर्ष की थी। इस आयु के लिए विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 18 का गुणक, विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 व विधि व्यवस्था Pappu Deo Yadav vs. Naresh Kumar and Ors. (17.09.2020 - SC) : MANU/SC/0696/2020 के आलोक मे 40% भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, विधि व्यवस्था The New India Assurance Company Limited and Ors. vs. Somwati and Ors. (07.09.2020 - SC) : MANU/SC/0674/2020 के आलोक मे याचीगण के पुत्र, व भाई की मृत्यु के दृष्टिगत प्रेम व स्नेह की क्षति के लिए ₹30,000 तथा विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार अविवाहित के स्वयं के खर्च पर 1/2 भाग की कटौती, संपदा की क्षति के लिए ₹15,000 तथा दाह संस्कार के लिए ₹15,000 तथा निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	180	30	12	64800
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	25920
स्वयं पर खर्च (भाग में)			2	45360
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				45360
गुणक			18	816480
प्रेम व स्नेह की क्षति			30000	846480
संपदा की क्षति			15000	861480
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	876480
कुल क्षतिपूर्ति				**876480**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹8,76,480 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याची सं.1 जमुना दास मृतक का पिता है, याची सं. 2 श्रीमती रामकली मृतक की माँ, याची सं.3 कु. रचना मृतक की बहन, होना बताया गया है। अतः मामले की समस्त परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये याची सं. 1 लगायत 3 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 25, 50, 25 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 – SC): MANU/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं.3 यूनाईट इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹8,76,480 (आठ लाख छिहत्तर हजार चार सौ अस्सी) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं.-3671000101192489, IFSC-PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। याची सं.1 लगायत 3 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 35, 35, 30 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें। याचीगण की 70% धनराशि 3 वर्ष के लिए एन्युटी मे निवेशित की जाएगी। याचीगण की शेष धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

तदनुसार अंतिम आदेश तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक 01.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 01.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी